

प्रेषक,

डा0 बब्बू सारंग  
जनपद न्यायाधीश,  
अलीगढ़।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक

877 / XV

सिविल, दिनांक

29.03.2023

विषय:

निजी वाहन, जिसका वाहन संख्या नम्बर UP15AK5200 है, को विक्रय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मेरा निजी वाहन जिसका वाहन संख्या नम्बर **UP15AK5200** है, श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह को धनराशि 40,000/- रुपये में विक्रय किया जाना है, जिसका भुगतान विक्रेता द्वारा चेक के माध्यम से मुझे किया जायेगा, इनसे मेरा कोई बलड रिलेशन नहीं है।

अतः श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह को मेरा निजी वाहन, कार जिसका वाहन संख्या नम्बर **UP15AK5200** है, विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

दिनांक: 23.03.2023

भवदीय,  
  
23/3/23

(डा0 बब्बू सारंग)  
जिला न्यायाधीश,  
अलीगढ़।